राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 11938/2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
राजेश कांकरिया राजेन्द्र विलास, प्रथम ए रोड, सरदारपुरा, जोधपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपसचिव राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 07-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री एस.एल.मलिक, राज्य लोक सूचना अधिकारी उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 12-5-17 के द्वारा क्रम संख्या 1 से 29 विभिन्न अपीलो में आरोपित शास्ति वसूली आदि के संबंध में सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि पत्र दिनांक 8-6-17 के द्वारा अपीलार्थी को बिन्दुवार विनिश्चय/सूचना का प्रेषण कर दिया गया था एवं अपीलोत्तर दिनांक 14-2-18 की प्रति पृष्ठांकित कर पुनः प्राप्त अध्यतन सूचना एवं प्रेषित सूचना की सत्यापित प्रति हस्ताक्षरित कर पत्र दिनांक 5-3-18 से प्रेषित की जा चुकी है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 14-2-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है, से प्रत्यर्थी द्वारा उपरोक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथनों की पुष्टि होती है।

7. अपीलार्थी ने प्रतिक्रिया दिनांक 20-2-18 प्रेषित कर प्राप्त सूचना से असंतोष व्यक्त किया है एवं अंकित किया है कि उन्हें शेष रही सूचना दिलवायें।

8. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा पत्र दिनांक 5-3-18 से वांछित सूचना के संबंध में सत्यप्रति हस्ताक्षरित कर दी गई थी परन्तु सहवन से सत्यप्रतिलिपि की मोहर नहीं लग पाई थी जिसे भी प्रत्यर्थी द्वारा पत्र दिनांक 5-3-18 से प्रेषित कर दिया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित विनिश्चय/सूचना, अधिनियम-2005 के अनुकूल है तथा अपीलार्थी द्वारा प्रेषित उपरोक्त प्रतिक्रिया बलहीन है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

9. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)

मुख्य सूचना आयुक्त